न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 171/2022

निर्णय दिनांकः10.10.2022

सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम जाति नाई निवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

–प्रार्थी–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसील श्रीडूंगरगढ़

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री पूनमचन्द [redacted] अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 129 तादादी 5.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22 तादादी 11.3500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 29 तादादी 3.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 95 तादादी 3.68 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 23.5500 हैक्टेयर रोही हथाणा पटवार हलका धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी की 1/4 हिस्सा की खातेदारी है। प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम नाई है। प्रार्थी बचपन में ही अपने बड़े भाई के साथ भादरा जिला हनुमानगढ़ चाला गया और वहीं बस गया। समय–समय पर प्रार्थी गांव आता–जाता रहता है। गांव में प्रार्थी को सोहनराम के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी के पिता का नाम अर्जुनराम है। गांव में प्रार्थी के पिता को उजीणाराम के नाम से भी जाना जाता है। प्रार्थी का सही नाम सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम है गांव में प्रार्थी का बोलता नाम सोहनराम व प्रार्थी के पिता का नाम उजीणाराम बोलता नाम है। इसलिए जब प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी व उसके भाइयों के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज हुआ तो प्रार्थी के पिता का नाम अर्जुनराम की जगह उजीणाराम व प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम की जगह सोहनराम पुत्र उजीणाराम दर्ज हो गया। सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम व सोहनराम पुत्र उजीणाराम दोनों नाम ही प्रार्थी के ही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड सहित खातेदारी के अलावा समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम जाति नाई दर्ज है। उक्त खेतों की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सोहनराम पुत्र उजीणाराम दर्ज है। आधार कार्ड, पेन कार्ड मतदाता पहचान पत्र से भिन्न नाम प्रार्थी का उक्त खेतों की जमाबंदी में दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी को किसी भी बैंक व ऋण देने वाली वित्तीय संस्था से वित्तीय सुविधा नहीं मिल पा रही है, ना ही प्रार्थी का कृषकों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी वित्तीय योजना या अन्य योजना का लाभ मिल पा रहा है। सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम व सोहनराम पुत्र उजीणाराम दोनों नाम ही प्रार्थी के ही है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम सोहनराम पुत्र उजीणाराम को दुरूस्त करवाकर सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम दर्ज करवाना चाहता है। जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में सोहनराम पुत्र उजीणाराम की जगह सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम दर्ज करने हेतु कहा तो अप्रार्थी दिनांक 25.07.2022 को [illegible] से इंकार कर दिया और न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत [illegible] खसरा नंबर 129, 22, 29, 95 रोही हथाणा तहसील [illegible] खातेदारी में प्रार्थी का नाम सोहनराम पुत्र उजीणाराम की जगह सोहनलाल पुत्र [illegible]र्जुनराम करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जाकर उक्त खेतों के रिकॉर्ड दुरूस्ती करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.10.21 16:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 129, 22, 29, 95 रोही हथाणा पटवार हल्का धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी का नाम सोहनराम पुत्र उजीणाराम के स्थान पर शुद्ध नाम सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.10.21 16:10:06 IST
Reason: SelfAttested